भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3203

(दिनांक 06.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारी

3203. श्री सी. लालरोसांगाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा नियुक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारियों को एक ही पद पर तीस वर्षों से अधिक की सेवा देने के बावजूद पदोन्नति प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) क्या सरकार इन कार्यक्रम अधिकारियों को एकमुश्त राहत प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को परिणामी लाभ सहित एकमुश्त राहत प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क): सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा भर्ती किए गए आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रिक्ति वर्ष 2018 तक के लिए भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा (आईबी(पी)एस) के कार्यक्रम कार्यपालक (पीईएक्स) से कनिष्ठ समय-मान (जेटीएस) में पदोन्नति पूरी कर ली गई है। इसके अलावा, प्रसारण कार्यपालक (टीआरईएक्स)/समकक्ष पदों से पीईएक्स में पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2016 तक के लिए पूरी की जा चुकी है।

(ख) से (ङ): कार्यक्रम अधिकारियों को एक बारगी छूट प्रदान करने से संबंधित मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श किया गया है और उसने इसपर सहमति नहीं दी है।